मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक – 22.02.2019 को आयोजित राज्य गंगा समिति के तृतीय बैठक की कार्यवाही।

स्थानः– सभाकक्ष पुराना सचिवालय, पटना। समय 12.00 बजे अपराह्न।

उपस्थितिः– मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सचिव परिवहन विभाग, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, जिला पदाधिकारी, पटना प्रबंध निदेशक, बुडको, मुख्य वन संरक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, उप महाप्रबंधक, (अभि0), एन.बी.सी.सी., उप महाप्रबंधक, एन.बी.सी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीविका, प्रो0 सन्तोष कुमार सेवानिवृत प्राध्यापक एन.आई.टी पटना, टीम लीडर, एस.पी.एम.जी. एवं पदाधिकारी।

Video Conferencing के माध्यम से उपस्थितिः–

जिला पदाधिकारी वैशाली/लखीसराय/समस्तीपुर/खगड़िया/भोजपुर/कैमूर/कटिहार/मुंगेर/भागलपुर/सारण, उप विकास आयुक्त बेगुसराय/पटना एवं जिला प्रतिनिधि बक्सर/दरभंगा एवं नगर निकायों के पदाधिकारी।

1. मुख्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित राज्य गंगा समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों तथा Video Conferencing के माध्यम से उपस्थित जिला पदाधिकारियों एवं नगर निकाय के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

2. प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत् क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनाओं के सम्बन्ध में PPT के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत् कुल 44 योजनायें (रू0 5591.75 करोड़) स्वीकृत है जिसमें 28 योजनायें (रू0 5190.15 cr.) सीवरेज योजनायें हैं जिनकी कार्यकारी एजेंसी बुडको है। एक योजना पटना RFD की है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू0 243.27 करोड़ है। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी भी बुडको है। विभिन्न शहरों में घाटो एवं शवदाह गृह की कुल आठ योजनायें (राशि रू0 107.49 करोड़) स्वीकृत है। इन योजनाओं की कार्यकारी एजेंसी एन.बी.सी.सी. है। पटना में गंगा नदी पर River surface cleaning का कार्य (रू0 3.96 करोड़) Cleantech द्वारा क्रियान्वित है। पटना में तीन नालों दानापुर, दीघा एवं राजापुर में Bioremediation विधि से जलशोधन की योजनायें (रू0 3.86 करोड) स्वीकृत है। जिनमें दानापुर एवं राजापुर नालों हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। Afforestation हेतु रू0 43.02 करोड़ की योजनायें स्वीकृत हैं जिनका क्रियान्वयन वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा सम्बन्धित कार्यकारी

एजेंसियों यथा बुडको, एन.बी.सी.सी. तथा वन एवं पर्यावरण विभाग को योजनाओं को ससमय निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरा करने हेतु निदेश दिया गया।

3. प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि गंगा के Main Stem पर अवस्थित सभी शहरों के वैसे नाले जिनका Outfall गंगा नदी/सहायक नदियों पर हो रहा है पर Screen अधिष्ठापन का कार्य विभिन्न स्थलो पर प्रगति में है। मुख्य सचिव द्वारा इस कार्य को त्वरित गति से करते हुए फरवरी माह के अन्त तक Floating solid waste के Screening हेतु screen अधिष्ठापन का कार्य सुनिश्चित करने हेतु बुडको को निदेश दिया गया। साथ ही Main Drain के Linking Drains के Confluence point के Up stream (U/S) में भी Screen अधिष्ठापन हेतु निदेश दिया गया, ताकि Link drain से प्रवाहित Floating Waste का Screening हो सके।

(अनुपालन– बुडको)

4. मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारियों/नगर निकाय के पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सभी घाटो पर Antilittering Message का स्थायी सूचनापट्ट अधिष्ठापित करने, Legacy Dumpsite (पुराना कूड़ा स्थल) एवं Garbage Vulnerable Points की नियमित सफाई करने का निदेश दिया गया। इस हेतु SPMG को नगर निकायों से अधियाचना प्राप्त कर आवश्यक निधि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस क्रम में सभी जिला पदाधिकारियों को सम्बन्धित नगर निकायों से Action Plan तैयार कराकर SPMG को प्रेषित किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– बुडको, नगर निकाय, जिला पदाधिकारी एवं एस.पी.एम.जी.)

5. सभी जिलाधिकारियों को जिला गंगा समिति की नियमित बैठक आयोजित करने, बैठक में जिले के अन्तर्गत कार्यान्वित नमामि गंगे योजनाओं के संवेदकों के साथ योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने, योजनाओं के संरचनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने तथा Solid Waste Management हेतु नगर निकायों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। साथ ही बैठकों की कार्यवाही SPMG को भेजने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी जिला पदाधिकारी)

6. जिला पदाधिकारी बक्सर, मुंगेर एवं सारण द्वारा एन.बी.सी.सी. के माध्यम से कराये जा रहे Ghat/Crematoria की धीमी प्रगति के बारे में चर्चा की गयी। एन.बी.सी.सी. के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा मार्च 2019 तक सभी कार्य पूर्ण करने हेतु आश्वासन दिया गया।

(अनुपालन – एन.बी.सी.सी.)

7. जिला पदाधिकारी वैशाली द्वारा निर्मित घाट के Steps की चौड़ाइ कम होने से तेरसिया घाट (जहाँ मेला का आयोजन होता है) एवं कंगन घाट (जहाँ प्रकाश पर्व मनाया जाता है) पर उत्पन्न होने वाली समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। मुख्य सचिव द्वारा एन.बी.सी.सी. के पदाधिकारियों को इसकी जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन एन.बी.सी.सी.)

8. जिला पदाधिकारी वैशाली द्वारा तेरसिया घाट जहाँ मेला का आयोजन होता है – के सड़क का पक्कीकरण करने हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी वैशाली को एतद् संबंधी प्रस्ताव परिवहन विभाग के समक्ष उपस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन वैशाली जिला पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग)

9. जिला पदाधिकारी पटना द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना को प्रेषित पत्र (पत्रांक–217 दिनांक 04.02.2019) के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा Ganga Flood Protection Wall के River side में उपलब्ध जमीन पर गहन afforestation किये जाने हेतु अविलम्ब कारवाई करने का निदेश मुख्य वन संरक्षक को दिया गया।

(अनुपालन – पर्यावरण एवं वन विभाग)

10. मुख्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारियों से घाटों के रख–रखाव की व्यवस्था के लिए घाटों को गोद लेने की प्रक्रिया के तहत् NGO, NCC, NSS, निजी संस्थाओं, जनसाधारण इत्यादि से अनुरोध करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी)

11. मुख्य सचिव द्वारा गंगा नदी की सुरक्षा प्रबन्धन एवं संरक्षण के लिये समयबद्ध कार्य कराने हेतु विशेष बल दिया गया। सतही प्रवाह एवं उप–सतही जल (भू–जल) के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक तकनीकी उपायो यथा Well, Ponds आदि जलीय संरचनाओं के निर्माण पर चर्चा की गयी। इस क्रम में प्रो0 सन्तोष कुमार, नामित सदस्य (सेवानिवृत प्राध्यापक एन.आई.टी, पटना) द्वारा गंगा नदी के Regime में हो रहे परिवर्तन पर चर्चा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि गंगा नदी पटना से दूर होती जा रही है तथा इस हेतु उनके द्वारा गंगा नदी को वापस पुनः पुराने Regime में लाने के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। समीक्षा के दौरान भागलपुर के जिला पदाधिकारी द्वारा गंगा नदी के Shifting पर नियंत्रण करने के लिए Dredging कार्य कराने का सुझाव दिया गया। मुख्य सचिव द्वारा इन सारे पहलुओं पर जल संसाधन विभाग को आवश्यक कारवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन जल संसाधन विभाग)

12. जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा आरा शहर के लिए सीवरेज प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि एन.एम.सी.जी. से DPR बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई है। मुख्य सचिव द्वारा अविलम्ब डीपीआर तैयार कर समर्पित करने हेतु बुडको को निदेश दिया गया।

(अनुपालन – बुडको)

13. जिला पदाधिकारी पटना द्वारा घाटो की गहन सफाई के लिए अनुरोध किये जाने के परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव द्वारा नगर आयुक्त पटना नगर निगम के माध्यम से पर्याप्त सफाई कर्मी प्रतिनियुक्त करने हेतु प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

14. मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों/नगर निकाय के पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक नगर निकाय के कम से कम एक घाट को चिह्नित करने एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रचार–प्रसार करते हुये गंगा आरती की परम्परा को प्रारम्भ करने हेतु निदेशित किया गया ताकि इससे जनमानस में नदियों के प्रति आस्था के साथ–साथ उसकी स्वच्छता एवं अविरलता जैसे महत्वपूर्ण आयामों के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। SPMG को नगर निकायों को इस कार्य हेतु प्रारम्भिक निधि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन नगर निकाय/SPMG)

15. <u>राज्य गंगा समिति के समक्ष उपस्थापित एजेन्डा</u>

(क) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य गंगा समिति को ''नमामि गंगे कार्यक्रम'' के तहत् राज्यान्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं के Third Party Inspection (TPI) हेतु भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2018 को MOU सम्पन्न किये जाने की सूचना दी गयी तथा समिति से इसपर घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।

(ख) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य गंगा समिति को सूचित किया कि NMCG के पत्रांक–A-11012/2/2011-12/NMCG दिनांक 03.07.2018 द्वारा State Project Management Group (SPMG) का नाम State Mission for Clean Ganga (SMCG) के रूप में परिवर्तित करने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा इस पर राज्य गंगा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा इसे अनुमोदित करते हुये इस दिशा में अग्रेतर कारवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– SPMG)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक : BGCMS/2015/05/02.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना , दिनांक.....
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पटना/बक्सर/भोजपुर/वैशाली/बेगुसराय/कटिहार/दरभंगा /कैमूर/खगड़िया/सारण/भागलपुर/मुंगेर/लखीसराय/समस्तीपुर एवं संबंधित नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
सह–परियोजना निदेशक,
बी0जी0सी.एम0एस0,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक : BGCMS/2015/05/02.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना , दिनांक.....
प्रतिलिपि : अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रबंध निदेशक, बुडको/सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/निदेशक,हरियाली मिशन, महाप्रबंधक एन.बी.सी.सी./श्री उमा शंकर सिंह, सेवा निवृत प्राध्यापक NIT पटना/डॉ सुनील कुमार चौधरी, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर विभाग, टी.एम.वि. भागलपुर/ डॉ0 समीर कुमार सिन्हा, संयोजक, WTI regional head बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश (नदी प्रणाली)/श्री एस. एन जायसवाल(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/ प्रो० संतोष कुमार चौधरी, सेवा निवृत प्राध्यापक, NIT पटना एवं एस.पी.एम.जी. के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
सह–परियोजना निदेशक,
बी0जी0सी.एम0एस0,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक : BGCMS/2015/05/02 203 न०वि० एवं आ०वि० / पटना , दिनांक 5/3/19

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सचिव, परिवहन विभाग, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2019

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
सह–परियोजना निदेशक,
बी0जी0सी.एम0एस0,
नगर विकास एवं आवास विभाग।